न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रदीप के. गावंडे

अपील संख्या : 01/2023

शैतान सिंह पुत्र श्री पदम सिंह जाति राजपूत निवासी– 28 वृंदावन कॉलोनी, सत्य नगर खातीपुरा रोड़ झोटवाड़ा, जयपुर हाल चक 4 जे.के.एम तहसील मोहनगढ़ जिला जैसलमेर – अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज – रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय भादाणी – वकील अपीलान्ट
2. पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :– 12–06–2024

यह अपील अपीलान्ट शैतान सिंह पुत्र श्री पदम सिंह जाति राजपूत निवासी– 28 वृंदावन कॉलोनी, सत्य नगर खातीपुरा रोड़ झोटवाड़ा, जयपुर हाल चक 4 जे.के. एम तहसील मोहनगढ़ जिला जैसलमेर के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–1985 के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने बतौर भूतपूर्व सैनिक होने के नाते सरकारी भूमि का आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलाण्ट के पिता की स्वअर्जित भूमि की गणना करके अपीलांट को 11 बीघा भूमि का सक्षम माना गया है जबकि धारा 15 में पुस्तैनी भूमि में नोशनल शेयर की गणना की जाती है, स्वअर्जित भूमि की नहीं। अदालत ने अपीलांट को सक्षम पात्र मानते समय उसके पिता की भूमि जो स्वअर्जित थी उसमें भी उसका नोशनल शेयर माना गया है जबकि धारा 15 आवंटन नियम के मुताबिक स्वअर्जित भूमि में कोई नोशनल शेयर नहीं माना जाता है। इस प्रकार अदालत मातहत ने धारा 15 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है। आवंटन नियम की धारा 15 का सही रूप से विश्लेषण नहीं किया है न ही माननीय न्यायालय के निर्णयों को देखा गया है और न ही सरकारी आदेशों को देखा गया है। इन सभी में स्वअर्जित भूमि में कोई भी हिस्सा व नोशनल शेयर नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत ने पात्रता देखते समय अपीलांट के परिवार के सभी सदस्यों के हिस्से की गणना नहीं की गई, सम्पूर्ण भूमि अपीलांट की मानकर गणना की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस कारण आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के पिता के नाम 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि थी। यह उनकी सेल्फ एक्वायर्ड भूमि थी। उसमें अपीलांट का नोशनल शेयर मानकर कानूनी भूल की है।

यदि 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि मान भी ली जाए तो भी अपीलांट का नोशनल शेयर लगभग 06 बीघा अनकमाण्ड बीघा भूमि का आता है जो 03 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर है। इस प्रकार अपीलांट फिर भी 22 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का पात्र है। इन तथ्यों को नजरअंदाज करके सक्षमता का आदेश दिया गया है जो हर तरह से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट के पीठ पीछे बिना नोटिस व सूचना दिए पारित किया गया है। एसा आदेश एवं अदालत मातहत की कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध साक्ष्य अधिनियम के तहत पढ़ी नहीं जा सकती। इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नहीं दिया और अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश साईक्लो स्टाईल आदेश है, तथा स्पीकिंग ऑर्डर की तारीख में नहीं आता है। इस कारण आदेश निरस्त योग्य है।

प्रकरण में अधीनस्त न्यायालय पत्रावली तलब की गई। अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने कहा अपीलान्ट ने बतौर भूतपूर्व सैनिक होने के नाते सरकारी भूमि का आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलाण्ट के पिता की स्वअर्जित भूमि की गणना करके अपीलांट को 11 बीघा भूमि का सक्षम माना गया है जबकि धारा 15 में पुस्तैनी भूमि में नोशनल शेयर की गणना की जाती है, स्वअर्जित भूमि की नहीं। अदालत ने अपीलांट को सक्षम पात्र मानते समय उसके पिता की भूमि जो स्वअर्जित थी उसमें भी उसका नोशनल शेयर माना गया है जबकि धारा 15 आवंटन नियम के मुताबिक स्वअर्जित भूमि में कोई नोशनल शेयर नहीं माना जाता है। इस प्रकार अदालत मातहत ने धारा 15 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है। आवंटन नियम की धारा 15 का सही रूप से विश्लेषण नहीं किया है न ही माननीय न्यायालय के निर्णयों को देखा गया है और न ही सरकारी आदेशों को देखा गया है। इन सभी में स्वअर्जित भूमि में कोई भी हिस्सा व नोशनल शेयर नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत ने पात्रता देखते समय अपीलांट के परिवार के सभी सदस्यों के हिस्से की गणना नहीं की गई, सम्पूर्ण भूमि अपीलांट की मानकर गणना की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस कारण आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के पिता के नाम 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि थी। यह उनकी सेल्फ एक्वायर्ड भूमि थी। उसमें अपीलांट का नोशनल शेयर मानकर कानूनी भूल की है। यदि 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि मान भी ली जाए तो भी अपीलांट का नोशनल शेयर लगभग 06 बीघा अनकमाण्ड बीघा भूमि का आता है जो 03 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर है। इस प्रकार अपीलांट फिर भी 22 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का पात्र है। इन तथ्यों को नजरअंदाज करके सक्षमता का आदेश दिया गया है जो हर तरह से निरस्त योग्य है।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि अपीलान्ट की मूल पत्रावली संख्या आर–1 निर्णय दिनांक 28–01–1985 के अनुसार आवंटन अधिकारी ने बाद जांच 11 बीघा भूमि का पात्र माना व इसी अनुसार अपीलांट को पात्र मानकर भूमि आवंटन की गई है। अब इतने समय बाद पुनः पात्रता निर्धारण करना विधिवत नहीं है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आवंटन अधिकारी एवं

अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर का आदेश दिनांक 28.01.1985 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार पात्रता पर सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस हो।

निर्णय आज दिनांक 12–06–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर